



आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 के तहत शीर्ष परषिद्

प्रलिम्स के लिये

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014, कृष्णा जल वविद् न्यायाधकिरण

मेन्स के लिये

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य जल वविद्

चर्चा में क्यों?

06 अक्तूबर, 2020 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 (Andhra Pradesh Re-Organization Act- 2014) के तहत गठित शीर्ष परषिद् की दूसरी बैठक में अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और सदस्यों के रूप में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

प्रमुख बडि:

- वर्ष 2016 के बाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 (Andhra Pradesh Re-Organization Act- 2014) के तहत गठित शीर्ष परषिद् की यह दूसरी बैठक थी।
- यह बैठक मुख्य रूप से दोनों राज्यों के बीच सचिद् परियोजनाओं को नषिपादति करने और [कृष्णा](#) एवं [गोदावरी](#) नदियों के जल को साझा करने हेतु एक समाधान निकालने के लिये आयोजित की गई थी।
- इस बैठक में कृष्णा एवं गोदावरी नदी के जल के बँटवारे के संबंध में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय में दायर किये गए मामले को वापस लेने पर सहमत वियक्त की ताकि केंद्र सरकार दोनों राज्यों के मध्य जल बँटवारे के मुद्दे को कृष्णा गोदावरी प्राधकिरण (Krishna Godavari Tribunal) को सौंप सके।

शीर्ष परषिद् की दूसरी बैठक के मुख्य एजेंडे:

- इस बैठक के पहले एजेंडे में गोदावरी एवं कृष्णा प्रबंधन बोर्ड के अधकिार क्षेत्रों के बारे में नरिणय लिया गया था।
 - छह वर्ष होने के बावजूद भी उनके अधकिार क्षेत्रों को अभी तक अधसूचिति नहीं किया गया है क्योंकि दोनों राज्यों के इस वषिय पर अलग-अलग वचिर हैं।
- जबकि दूसरे एजेंडे में क्रमशः कृष्णा और गोदावरी नदियों पर दोनों राज्यों द्वारा शुरू की गयी नई परियोजनाओं की वसितुत परियोजना रिपोर्ट (DPR) प्रसतुत करना शामिल है।
 - [आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014](#) के अनुसार, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) और [गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड](#) (GRMB) दोनों का तकनीकी रूप से मूल्यांकन करना और उन्हें स्पष्ट करना है।
- वही तीसरे एजेंडे में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच कृष्णा और गोदावरी नदी के जल के बँटवारे का नरिधारण करने के लिये एक तंत्र की स्थापना करना है।

केंद्र सरकार का पक्ष:

- उपरोक्त एजेंडों एवं अन्य मुद्दों के संबंध में केंद्र सरकार का पक्ष यह है कि [अंतरराज्यीय नदी जल वविद् अधिनियम-1956](#) (Inter State River Water Disputes Act-1956) की [धारा-3](#) के अंतर्गत जल आवंटन के मुद्दे को नए न्यायाधकिरण या [कृष्णा जल वविद् न्यायाधकिरण](#) (KWDT-II) को संदर्भित किया जाए, यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबति है और वचिराधीन है।
- कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में अवस्थित होगा।
- केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB एवं GRMB) के अधकिार क्षेत्र का नरिधारण करेगी।
 - तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस पर असहमत वियक्त की है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 के अनुसार, इस वषिय पर किसी भी

प्रकार की आम सहमति की आवश्यकता नहीं है और इस वषिय पर केंद्र ही अधिसूचना जारी करेगा ।

स्रोत: द हट्ट

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/apex-council-under-andhra-pradesh-re-organization-act-2014>

